8 S / 2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थीगण अनुपस्थित।** अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 3 की ओर से श्री पंकज कुदेशिया एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थीगण 1 से 3 की ओर से जर्ये वकील खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) घी (श्री मूल) का विकय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी 1. श्री रूप नारायण विजय पुत्र श्री गिरधर लाल विजय, खाद्य करोबारकर्ता एवं मेनेजर, मैसर्स–आर.ए.मार्केटिंग, कोटा रोड़, सुल्तानपुर, खाडी की पुलिया के पास, कोटा, निवासी–भौंरा रोड, सुल्तानपुर, कोटा पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 2. श्रीमती उर्मिला विजय पुत्र श्री रूप नारायण विजय (लाईसेंसी) पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 3. श्री श्याम मुरारी बजाज पुत्र स्व. श्री रतन लाल बजाज (प्रोपराईटर) निवासी–मोरीजा रोड, वॉर्ड नम्बर 29, चौमू जयपुर, मैसर्स–श्री श्याम एजेंसी, थाली हाउस, 80/18 पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर, जयपुर द्वितीय वार्ड 27, जयपुर 15000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. ...0969??... Rs. ...... Dated 22/05/24

कोषियर
कार्यालय जिला कलेक्टर
कोटा